[2021] 13 एस.सी.आर.282

श्रीदेवी दतला

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 3136/2020)

02 मार्च, 2021

[एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भट्ट, जेजे.]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3136/2020

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र पीठ के दिनांकित 31.07.2020 के अपील संख्या 18/2020 (एस. जेड.) में एम.ए. संख्या 231/2017 के निर्णय और आदेश से

के. एम. नटराजन, ए.एस.जी., सुश्री अनीता शेनॉय, आत्माराम नाडकर्णी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री कनिका सूद, सुश्री संजना ग्रेस थॉमस, सुश्री अनमोल गुप्ता, गुरमीत सिंह मक्कर, कानू अग्रवाल, वत्सल जोशी, अरूप बनर्जी, वरुण वर्मा, महेश अग्रवाल, एम. एस. अनंत, अनिरुद्ध भाटिया, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया : **एस. रवींद्र भट्ट, जे.** द्वारा

1. अपीलार्थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश से व्यथित है (जिसे इसके बाद "एन.जी.टी."[1] के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसलिए, एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एन.जी.टी. ने उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भोगपुरम, विशाखापट्टनम के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दाखिल किया गया था, जिसकी पांचवें प्रतिवादी द्वारा मांग की गई थी।

2. तथ्य सरल हैंः पांचवें उत्तरदाता (इसके बाद जिसे "परियोजना आवेदक" कहा गया) ने एक नए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव रखा। जैसा कि कानून और मौजूदा वैधानिक अधिसूचनाओं द्वारा आवश्यक था, इसने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इसके बाद, जिसे "एम.ओ.ई.एफ." कहा गया) को आवेदन किया। एम.ओई.एफ ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जिसमें संबंधित पक्षों, आम जनता आदि के विचारों और आपत्तियों का पता लगाना शामिल था, दिनांक 14.08.2017 के आदेश द्वारा अपनी मंजूरी का संकेत दिया। एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में एम.ओ.ई.एफ. की वेबसाइट पर 14.08.17 को अनुमोदन पोस्ट किया गया था| स्वीकृत रूप से, परियोजना आवेदक ने 13.09.2017 को एक अंग्रेजी दैनिक में अनुमोदन प्रकाशित किया।

3. अपीलार्थी ने 13.11.2017 को एन.जी.टी. में अपनी अपील दायर की। अपील के साथ, उन्होंने एन.जी.टी. से संपर्क करने में देरी की माफी के लिए एक आवेदन भी दायर की, धारा 19 की शर्त को देखते हुए कि अपील को विवादित आदेश के संचार की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राथमिकता दी जानी थी। उन्होंने समझाया कि चूंकि मंजूरी और उससे संबंधित दस्तावेज बहुत बड़े थे और इस मामले में कुछ तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, जिसके लिए कागजात को दिल्ली में विशेषज्ञों और वकीलों को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी, और संचार में देरी हुई, इसलिए एन.जी.टी. को न्याय के हित में विलंब को क्षांत करने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी के साथ-साथ परियोजना आवेदक द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, जिसने देरी को माफ करने के आवेदन का विरोध किया था, एन.जी.टी. ने अपने विवादित आदेश द्वारा अपीलार्थी के आवेदन और इसके परिणामस्वरूप अपील को भी खारिज कर दिया।

4. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की दलीलें मुख्य रूप से दो भागो मे हैंः कि धारा 16 की आवश्यकता "*संबंधित पक्षों के साथ-साथ जनता को भी इस आदेश की सूचना पहुंचाना है और प्रावधान की सार्थक व्याख्या करनी चाहिए*।" इस संदर्भ में इस बात पर जोर दिया गया कि संचार का अर्थ केवल केंद्र सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशन नहीं है, बल्कि प्रभावित पक्षों तक समाचार या निर्णय का प्रसार भी है। अपीलार्थी की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-सुश्री अनीता शेनॉय ने इस संदर्भ में पर्यावरण

मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी/अनुमोदन में निहित शर्तों पर भरोसा किया, विशेष रूप से वे जो परियोजना आवेदक को स्थानीय भाषा में प्रसार होनेवाले दैनिक समाचार पत्रों में निर्णय को सूचित करने के लिए बाध्य करती हैं। उन्होंने पर्यावरण मंजूरी ("ई.सी.") की शर्तों पर भी भरोसा किया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि सफल परियोजना आवेदक को, स्थानीय समाचार पत्रों में निर्णय या सूचना प्रकाशित करने के क्रम को जारी रखते हुए, यह भी सुनिश्चित करना था कि निर्णय को प्रसारित करने के लिए पंचायतों इत्यादि के माध्यम से स्थानीय समुदायों तक पहुंचाया जाए|

5. यह इंगित किया गया था कि प्रत्येक निर्णय को संप्रेषित करने के लिए अधिनियम की बड़ी योजना के एक हिस्से के रूप में इन शर्तों के उद्देश्य का अर्थ समझना चाहिए। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यदि एक विपरीत व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो क़ानून द्वारा दी गई अपील अर्थहीन होगी क्योंकि अक्सर, बड़ी परियोजनाएं जिनमें या तो लोगों का विस्थापन शामिल होता है या जो आवासों को प्रभावित करती हैं और क्षति करने की प्रवृत्ति रखती हैं या कम से कम पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उनको एन.जी.टी. द्वारा इसके तर्कों के आधार पर नहीं माना जाएगा क्योंकि यह नहीं माना जा सकता कि लोगों और आस-पड़ोस को नई दिल्ली में हुए विचार-विमर्श का ज्ञान है।

6. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, कम से कम अपील को समय बाधित नहीं कहा जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि गणना (सीमा) की तारीख 14.08.2017 से है, जब एम.ओ.ई.एफ. ने अपनी वेबसाइट पर निर्णय अपलोड किया था। नब्बे दिन की अवधि जिसके भीतर अपील दायर की जानी थी, 12.11.2017 पर समाप्त हो गई, जो एक रविवार था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 के तहत, यदि कोई निर्धारित अवधि किसी रविवार या उस दिन समाप्त होती है जिस दिन न्यायालय या न्यायाधिकरण कार्य नहीं करता है, तो अगले दिन को समय की दृष्टि से यथास्थिति माना जाना चाहिए। नतीजतन, यह प्रस्तुत किया गया कि अपील पर समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

7. अंत में, यह तर्क दिया गया कि एन.जी.टी. की राय कि देरी की माफी की मांग करते समय पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था, गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव के साथ-साथ मंजूरी जहां भारी दस्तावेज शामिल हैं, या यदि कोई व्यक्ति या संस्था व्यथित है, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, तो प्रदान किया जाने वाला एकमात्र उपाय अपील के माध्यम से है। अपील के आधारों को साबित करने के लिए, यह आवश्यक होगा कि कई मामलों में विशेषज्ञ सलाह प्राप्त की जाए जिसके आधार पर अपील के आधार तैयार किए जा सकते हैं और आग्रह किया जा सकता है। यदि इस मुद्दे पर इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना था, तो विलंब की माफी की मांग करने वाले अपने आवेदन में अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अनुचित नहीं माना जा सकता था और वास्तव में यह पर्याप्त कारण के बराबर है। विद्वान अधिवक्ता ने एन.जी.टी. के पिछले आदेश श्रीमती पद्मावती महापात्रा बनाम भारत संघ[2] पर भरोसा किया। साथ ही नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा रामबीर नरहरगीर गोसाई बनाम प्रभाकर भास्कर गढ़वे[3] पर दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया

8. भारत संघ की ओर से, ए.एस.जी., श्री के.एम. नटराज ने तर्क दिया कि विवादित आदेश को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि विवादित आदेश में यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की कि पर्यावरण मंत्रालय ने 14.08.2017 को अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण मंजूरी देने का निर्णय डाला था या निर्णय अपलोड करने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से निर्बाध तरीके से नहीं देखा जा सका। . उन्होंने आगे कहा कि यह निष्कर्ष कि पहली तारीख जब एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अपनी वेबसाइट पर निर्णय की सूचना दी गई थी, किसी अन्य बाद के समय के बजाय सीमा की गणना के उद्देश्य से निर्धारक है। यू.ओ.आई. की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ,1986 के तहत तैयार पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्रकाशित करने की आवश्यकता अब सभी को पता है। परियोजना आवेदक का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अनुसूची (अधिसूचना) के आइटम नंबर 7 (ए) में पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के दायरे में आता है।

9. भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के संदर्भ में, मंजूरी अपलोड करने की तारीख से सात दिनों

के भीतर प्रकाशित की जानी थी। पर्यावरण मंजूरी दिनांक 14.08.2017 का प्रकाशन 21.08.2017 को किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी की यह दलील कि उसे 24.08.2017 पर पर्यावरण मंजूरी के बारे में पता चला, निराधार है। विद्वान ए.एस.जी. ने इस संबंध में *सेव मोन रीजन फेडरेशन बनाम भारत संघ*[4] में एन.जी.टी. के निर्णय पर भरोसा किया।

10. विद्वान ए.एस.जी. ने अंत में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 33 के आधार पर, अन्य सभी कानूनों के प्रावधान अधिभावित किए जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में सीमा की अवधि बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठेगा। उन्होंने आगे आग्रह किया कि निर्धारित सीमा की अवधि वास्तव में अपील दायर करने के लिए 30 दिन है, और 60 दिनों की आगे की अवधि केवल विलंब के लिए माफ़ी के आवेदन की स्वीकृति के माध्यम से है। इस प्रकार, 90 दिनों की समाप्ति के बाद कोई अपील विचारणीय नहीं है। यह इंगित किया गया है कि वर्तमान मामले में, 90 दिनों की अवधि वास्तव में अपील दायर करने से एक दिन पहले समाप्त हो गई थी; इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समय-वर्जित था।

11. परियोजना आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने संघ की दलीलों का समर्थन किया और तर्क दिया कि संबंधित परियोजना आवेदक, यानी मेसर्स भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परिकल्पना सार्वजनिक हित में और मौजूदा विशाखापत्तनम हवाई अड्डा के प्रतिस्थापन में की गई है जो मुख्य रूप से एक रक्षा हवाई अड्डा है। विद्वान वकील ने *एच. दोहिल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम नाहर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड*[5] में इस न्यायालय के निर्णय पर इस आशय से भरोसा किया कि किसी भी पीड़ित वादी को अपने अधिकारों के प्रयोग में सतर्क रहना चाहिए और वह किसी को भी माफ करने के लिए विवेक के प्रयोग का दावा नहीं कर सकता है। *बी.आर.एस. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य*[6] के फैसले पर भी भरोसा किया गया था। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अपील, जो अधिनियम की धारा 22 के तहत होती है, सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत निर्दिष्ट आधारों तक ही सीमित है, जो केवल

तभी होती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि मामले में पर्याप्त कानून का प्रश्न शामिल होता है|

12. अंत में, यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एन.जी.टी. अधिनियम ने मामले की परिस्थितियों में सही अनुमान लगाया कि अपीलार्थी ने एक आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाया था और विलंब की क्षमा के लिए आवेदन की सामग्री पर विश्वास नहीं किया था। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी इस अर्थ में एक इच्छुक व्यक्ति है कि उसकी भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी और इसलिए अनजान नहीं थी या उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने में असमर्थ नहीं थी।

विश्लेषण और निष्कर्ष

13. अधिनियम का सुसंगत प्रावधान अर्थात धारा 16[7] इस प्रकार है -

"16. न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा। -किसी भी व्यक्ति के दुखी होने की वजह

(क) *अपीलीय प्राधिकार द्वारा जल की धारा 28 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद दिया गया कोई आदेश या निर्णय;*

(ख) *जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 29 के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद पारित एक आदेश;*

(ग) *जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 33ए के तहत किसी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किए गए निर्देश,;*

(घ) *अपीलीय प्राधिकार द्वारा जल की धारा 13 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया आदेश या निर्णय;*

(ङ) *राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया आदेश या निर्णय;*

(च) *अपीलीय प्राधिकार द्वारा वायु (प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 31 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया कोई आदेश या निर्णय;*

(छ) *पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29); की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किया गया कोई निर्देश।*

(ज) *राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद दिए गए एक आदेश के मुताबिक उस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी दी गई है जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों का वर्ग, संचालन और प्रक्रियाएं निष्पादित नहीं की जाएंगी या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत कुछ सुरक्षा उपायों की शर्त पर निष्पादित की जाएंगी;*

(झ) *राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ या उसके बाद दिए गए आदेश के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत किसी भी प्रकार की गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने से इनकार किया गया;*

(ञ) *जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लाभ के बंटवारे का निश्चय या या आदेश जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया, उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है जिस दिन आदेश या निर्णय या निर्देश या निश्चय के बारे में उसे सूचित किया जाता है वह न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है;*

बशर्ते कि न्यायाधिकरण संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था उस शर्त पर न्यायाधिकरण इस धारा के तहत अधिक अवधि के अन्दर जो साठ दिनों से अधिक न हो, अपील दायर करने की अनुमति दें."

14. पर्यावरणीय विवाद जटिल होते हैं और उनके प्रभावी और त्वरित तरीके से निर्धारण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता (जैसे पारिस्थितिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नियोजन, प्रबंधन, कानून आदि) की आवश्यकता होती है जो भारत में नियमित न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, वन, जैव विविधता, वायु और जल से संबंधित पर्यावरणीय विवाद प्रकृति में जटिल हैं; इन मामलों का समाधान और तेजी से निपटान एक अलग विशेष अदालत के बिना संभव नहीं है। पर्यावरण न्यायालय या न्यायाधिकरण की मांग अन्य कारणों से भी लंबे समय से होती रही है। पर्यावरण संरक्षण की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए, एक अलग पर्यावरण अदालत या न्यायाधिकरण की तत्काल आवश्यकता थी जो बहुत देर किए बिना निर्णय ले। भारत मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है), 1972 का एक पक्ष है, जहां उसने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षरण के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने से संबंधित प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं। भारत ने 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाई गई रियो घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए हैं। रियो घोषणा में कहा गया है कि भाग लेने वाले राज्यों को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही के लिए और लोगों तक प्रभावी पहुंच

के लिए उपाय करना और उपयुक्त पर्यावरणीय कानून बनाना चाहिए। विधि आयोग की 186 वीं रिपोर्ट ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार को पर्यावरण से संबंधित जटिल और विशेष मुद्दों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना और गठन करना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में संसद ने एन.जी.टी. अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम विभिन्न अन्य अधिनियमों में संशोधन करता है और एन.जी.टी. के समक्ष अपील करने के लिए उनमें प्रावधान जोड़ता है। इन्हें जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-बी; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 13-ए; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2-ए; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-बी; पर्यावरण में धारा 5-ए में और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 52-ए में शामिल किया गया है।

15. *जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण और अन्य मंत्रालय*[8] में संकीर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या कोई राज्य तालाबों जैसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संसाधनों को अलग कर सकता है। इस अदालत ने माना कि इस तरह का स्थानांतरण या अलगाव अस्वीकार्य था। *हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ*[9] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने की वैधता पर विचार करते हुए एन.जी.टी. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में मुद्दों पर विचार करने और पर्यावरणीय मुद्दों, विशेष रूप से पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लेने में सतत विकास के सिद्धांत को लागू करने के लिए बाध्य है। यह निर्धारित किया गया कि एन.जी.टी. अधिनियम:

> *"एक न्यायाधिकरण के गठन के लिए प्रावधान करता है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य दोनों शामिल हैं| वैधानिक रूप से न्यायिक और तकनीकी के मिश्रण का कारण यह है कि विज्ञान के अनुप्रयोग और मूल्यांकन तथा इसके पर्यावरण के साथ इंटरफेस से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया जा सके।"*

16. अदालत ने कहा कि एन.जी.टी. का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास विज्ञानं में मास्टर डिग्री के साथ-साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में निर्धारित अनुभवों समेत विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए| प्रशासनिक सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास पंद्रह साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए जिसमें पांच साल का केंद्र या राज्य सरकार या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या राज्य स्तर के संस्थान में पर्यावरणीय मामलों से संबंधित अनुभव शामिल है। अदालत ने *हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर (उपरोक्त),* मामले में कहा कि गोवा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए एन.जी.टी. द्वारा उचित समीक्षा नहीं की गई।

17. इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, और एन.जी.टी. को दिए गए क्षेत्राधिकार की प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान मामले में कानून के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे हैं कि क्या एन.जी.टी. द्वारा सीमा के मुद्दे पर दृष्टिकोण सही था, और क्या कानून की सही व्याख्या के आधार पर, इस मामले के तथ्यों में 90 दिनों की अवधि के भीतर धारा 16 के तहत अपील दायर की गई थी।

सामान्य खंड अधिनियम की प्रयोज्यता

18. इसपर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एक विशिष्ट कानून में निर्धारित सीमा की अवधि जो समाधानों और अपीलों के प्रावधान करती है, उसके अर्थ को इसकी शर्तों में और परिसीमा अधिनियम के संदर्भ के बिना समझना चाहिए, यदि इसमें उस समय या अवधि को निर्दिष्ट करने वाले विशिष्ट प्रावधान हैं जिसके भीतर आवेदनों या अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, और एक निश्चित संख्या में दिनों के लिए देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करने को सीमित करता है। निस्संदेह, ऐसे मामलों में, परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होगा।[10]

इस न्यायालय के कई पिछले निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि जहां विशेष कानूनों के तहत सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, ऐसी अपीलें जो दी गई अवधि से अधिक हैं और विशेष कानून में सीमा की विस्तारित अवधि के भीतर हैं, उन पर न्यायाधिकरण या संबंधित न्यायालय के विवेक से विचार किया जा सकता है, और परिसीमा अधिनियम ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर लागू नहीं होंगे।[11] इस न्यायालय का मानना है

कि संघ के इस तर्क में योग्यता है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। हालांकि यह मुद्दे का निपटान नहीं है; अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के इस तर्क में योग्यता है कि एन.जी.टी. को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए था कि क्या प्रमुख प्रावधान के अनुरूप धारा 16 के तहत निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर अपील दायर की गई थी, यानी प्रारंभिक 30 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर।

19. अपीलकर्ता का तर्क है कि चूंकि इसके विपरीत कोई संकेत नहीं है; इसलिए अपील को 60 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर दायर किया गया माना जाएगा, क्योंकि अंतिम दिन (60 दिनों में से) रविवार (12.07.2020) था। अपीलकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 पर भरोसा किया। उत्तरदाताओं, विशेष रूप से संघ, ने इस तर्क का विरोध किया।

20. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10[12] में कहा गया है कि जब कुछ करने की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश पर आती है, तो उस कार्य को *"किया हुआ माना जाएगा.."* यदि यह *"किया गया है या अगले दिन जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला रहता है किया गया है "।* यह प्रावधान उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद अधिनियमित सभी केंद्रीय अधिनियमों पर लागू होता है। इस प्रावधान के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा *एच.एच. राजा हरिंदर सिंह बनाम एस. करनैल सिंह*[13] मामले में चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था जिसमें धारा 10 के उद्देश्य की व्याख्या की गई और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> *" 5. ..... .इसलिए, जहां किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित की जाती है, और वह अवधि किसी अवकाश के दिन समाप्त हो जाती है, तो धारा के अनुसार कार्य को उस अवधि के भीतर किया गया माना जाना चाहिए, यदि इसे अगले दिन जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला हो, किया जाता है। इसलिए, उस धारा को लागू करने के लिए, जो आवश्यक है वह यह है कि एक अवधि*

निर्धारित होनी चाहिए, और वह अवधि छुट्टी के दिन समाप्त होनी चाहिए।"

21. अन्य निर्णयों[14] ने भी इसी तर्क का पालन किया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एन.जी.टी. अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह प्रावधान एन.जी.टी. अधिनियम के तहत दायर सभी अपीलों पर लागू होता है।

विलंब को क्षांत करने के आवेदन पर विचार करने में न्यायालय का दृष्टिकोण

22. एन.जी.टी. की धारा 16 के संदर्भ में *"पर्याप्त कारण"* क्या है? हालांकि परियोजना आवेदक के लिए यह तर्क देना अपरिहार्य है कि परिसीमा अधिनियम एनजीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए अनुपयुक्त है, यह देखते हुए कि अपील दायर करने के लिए परिसीमा की मूल और बाहरी अवधि अधिनियमित की गई है, फिर भी, जो पर्याप्त कारण है, वह न्यायाधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यहां, अदालत इस बात को समझती है कि यह शब्द क्या दर्शाता है, और देरी से निपटने में अदालत का सामान्य दृष्टिकोण क्या है।

23. *जी. रामगौड़ा बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी*[15], मामले में इस अदालत की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, जे. ने निम्नलिखित शब्दों में इस स्थिति का सारांश दियाः

" 14. अपील दायर करने में देरी को माफ करने के मामले में अदालतों के विवेक के क्षेत्र की रूपरेखा इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों द्वारा निर्धारित होते हैं| देखें- रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड [ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 361: (1962) 2 एस.सी.आर. 762], शकुंतला देवी जैन बनाम कुंतल कुमारी [ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 575: (1969) 1 एस.सी.आर. 1006], कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड बनाम निर्मला देवी [(1979)) 4 एस.सी.सी. 365: 1979 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 996: (1979) 3 एस.सी.आर. 694], माता दीन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस.सी.सी. 770: (1970) 2 एस.सी.आर. 90] और कलेक्टर (एल.ए.) बनाम कातिजी [(1987) 2 एस.सी.सी. 107: 1989 एस.सी.सी. (टैक्स) 172], आदि। यह सच है कि पार्टी को उसके वकील की सभी गलतियों से बचाने वाला कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। यदि पक्ष या उसके वकील की ओर से लापरवाही, जानबूझकर या घोर निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी है, तो कोई कारण नहीं है कि विपरीत पक्ष को समय-बाधित अपील के अधीन किया जाए। प्रत्येक मामले पर उसके अपने विशेष तथ्यों की विशिष्टता के आधार पर विचार करना होगा। हालांकि धारा 5 में अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' के प्रति एक उदार परिप्रेक्ष्य रखना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके और आम तौर पर अपील को प्राथमिकता देने में देरी को न्याय के हित में माफ किया जाना आवश्यक है जहां कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी नहीं है ऐसे में देरी के लिए माफ़ी मांगने वाली पार्टी पर आरोप लगाया जा सकता है।"

24. बहुत बाद में, *ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी*[16] मामले में इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में पिछले निर्णयों[17] का उल्लेख किया और कहा कि सबूत के सख्त मानक को अपनाना कभी-कभी सार्वजनिक न्याय की रक्षा करने में विफल रहता है और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षति हो सकती है। अन्य निर्णयों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह निर्धारित करने के लिए एक सार्वभौमिक सूत्र नहीं हो सकता है कि क्या पर्याप्त कारण दिखाया गया है, या नहीं दिखाया गया है और अभ्यास आवश्यक रूप से तथ्य विशिष्ट है; इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट बनाम उजागर सिंह[18] मामले में अदालत ने फैसला सुनाया किः

" 16. देरी को माफ करने के लिए [एक] आवेदन पर विचार करते समय निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सख्त सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है कि पर्याप्त और अच्छा आधार बनाया गया है या नहीं|"

25. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर संतुलित किया जाना चाहिए जिसमें पार्टियां कार्य करती हैं और व्यवहार करती हैं।

26. *मनीबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम, बृहन्मुंबई*[9], में इस मुद्दे के एक और आयाम पर प्रकाश डाला गया था, जहां अदालत ने एक ऐसे मामले के बीच अंतर को रेखांकित किया जहां देरी अत्यधिक है, और एक ऐसा मामला जहां देरी कुछ दिनों की है और यह कि पहले मामले में दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह का विचार एक प्रासंगिक कारक होगा; बाद के मामले में, ऐसा कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है। यह देखने के बाद कि एक उदार और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, यह कहा गया कि अदालत को इस तथ्य के प्रति समान रूप से संवेदनशील होना चाहिए कि "सफल वादी ने फैसले के आधार पर कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। चुनौती के तहत और लागत के अलावा मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में बहुत समय लगता है। अदालत ने तब कहा था किः

> *" 24. किसी दिए गए मामले के तथ्यात्मक सांचे में अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' को कौन सा रंग मिलेगा यह काफी हद तक स्पष्टीकरण की प्रामाणिक प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि अदालत को पता चलता है कि आवेदक की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और देरी के लिए दिखाए गए कारण में प्रामाणिकता की कमी नहीं है, तो वह देरी को माफ कर सकती है। दूसरी ओर, यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है या वह अपने मामले पर मुकदमा चलाने में पूरी तरह से लापरवाही बरतता है, तो देरी को माफ न करना विवेक का एक वैध प्रयोग होगा।*

27. यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण शब्द सापेक्ष, तथ्य पर निर्भर है, और इसके कई रंग हैं, जो मुख्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और वादी के व्यवहार से रंग लेते हैं जो देरी (अदालत के पास आने) के लिए माफी मांगते हैं। हालांकि, जो मोटे तौर पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कहा जा सकता है वह यह है कि सिद्धांत रूप में, आवेदक

को नेकनीयती प्रदर्शित करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और होने वाली देरी इतनी नहीं होनी चाहिए कि इसे माफ करने से दूसरे पक्ष पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

28. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करना प्रासंगिक है कि क्या एन.जी.टी. ने तथ्यों और तथ्यों में विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की परिस्थितियां गलत थीं। अदालत इस तथ्य से अवगत है कि विवेकाधिकार का प्रयोग, अपने आप में, एक तथ्य पर निर्भर है, और उस कार्य के निष्पादन में पहली बार के न्यायालय या न्यायाधिकरण को काफी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर भी, जैसा कि निर्णय लिया गया है, मामलों और निर्णयों से पता चला है कि विवेक का प्रयोग कभी-कभी इस न्यायालय द्वारा अपीलीय जांच की मांग करता है। यह ऐसी ही एक घटना है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि चूंकि परियोजना आवेदक को दी गई मंजूरी के लिए सहायक दस्तावेज बहुत बड़ा था और एन.जी.टी. से संपर्क करने के लिए आवश्यक प्रकार की विशेषज्ञ और पेशेवर कानूनी सलाह आंध्र प्रदेश राज्य में उपलब्ध नहीं था, साथ ही प्रासंगिक दस्तावेजों को हासिल करने, और दिल्ली में अधिवक्ता के साथ पत्राचार और अपील का मसौदा तैयार करने में कुछ देरी हुई।

29. इस अदालत की राय है कि अपीलार्थी के तर्क में योग्यता है। उत्तरदाताओं, विशेष रूप से, परियोजना आवेदक ने आग्रह किया था कि अपीलार्थी एक इच्छुक पक्ष है, और उसे जन-उत्साही नागरिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसने हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था और इसलिए, वह उच्च न्यायालय के स्तर पर कानूनी सलाह प्राप्त करने में सक्षम थी। हमारी राय में, एन.जी.टी. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है *जो किसी ऐसी परियोजना,* जिसका पर्यावरणीय परिणाम हो, से सीधे प्रभावित होने वाले पक्षों को न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) तक पहुंच से बाहर करता हो। इसी तरह, कानूनी सलाह की प्रकृति को चिह्नित करना जिसे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए प्राप्त किया जा सकता है, जो पर्यावरण मंजूरी के लिए एक चुनौती के समान है जिसमें तकनीकी मुद्दों पर विस्तृत तरीके से दिमाग का अनुप्रयोग शामिल है, अनुचित और सरलीकृत होगा। यदि एन.जी.टी. से संपर्क किया जाना है तो विशेषज्ञ पेशेवर कानूनी सलाह के अलावा वैज्ञानिक या तकनिकी सहायता आवश्यक है। इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय है कि एन.जी.टी. अधिनियम के

अधिदेश को देखते हुए, विवेकाधिकार का प्रयोग करके, जैसा कि इस मामले में किया गया था, देरी की माफी के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज करके अपील को अस्वीकार कर दिया गया कि कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था, गलत था और कानून के संकीर्ण अध्ययन पर आधारित था। ऐसे मामलों में एन.जी.टी. को अपील करना कोई साधारण मामला नहीं है; इसमें संभावित क्षति की संभावना के साथ पर्यावरण को अपरिवर्तनीय रूप से बदलने की क्षमता है। ऐसे मामलों में पहले अपीलीय चरण में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग लगभग एक आवश्यकता है।

30. पूर्वगामी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि एन.जी.टी. के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और इसलिए इसे दरकिनार कर दिया गया। एन.जी.टी. के समक्ष अपील दायर करने में देरी को एतद्द्वारा माफ कर दिया जाता है; पक्षकार अब पेश होंगे और योग्यता के आधार पर अपील पर बहस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसका तब कानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा। अपील की अनुमति है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत

देवेंद्र कुमार पाठक

[1] दिनांकित 31.07.2020

[2] 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.जी.टी. 2177

[3] ए.ई.आर. 1955 नाग 300

[4] 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.जी.टी.2511

[5] (2015) 1 एस.सी.सी. 680

[6] (2012) 6 एस.सी.सी. 782

[7] एन.जी.टी. अधिनियम का

[8] 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1510

[9] (2019) 15 एस.सी.सी. 401

[10] प्रावधान इस प्रकार है :

29. बचत – (1) इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) जहां कि कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है वहां धारा 3 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल हो तथा किसी वाद, अपील या आवेदन के निमित्त किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा विहित परिसीमा काल का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से धारा 24 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) उपबन्ध केवल वहीं तक और उसी विस्तार तक लागू होंगे जहां तक और जिस विस्तार तक वे उस विशेष या स्थानीय विधि द्वारा अभिव्यक्त तौर पर अपवर्जित न हों ।

[11] कौशल्या रानी बनाम गोपाल सिंह 1964 (4) एस.सी.आर. 982 ; आबकारी और सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड (2009) 5 एस.सी.सी. 791; भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एस.सी.सी 470; पटेल ब्रदर्स . बनाम असम राज्य (2017) 2 एस.सी.सी. 350.

[12]10. समय की संगणना - (1) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बने किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा, किसी कार्य या कार्यवाही को किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन या निर्धारित अवधि के भीतर करने या करने के लिए निर्देशित या अनुमति दी जाती है, फिर, यदि न्यायालय या कार्यालय उस दिन या निर्धारित अवधि के अंतिम दिन बंद है, तो कार्य या कार्यवाही नियत समय में की गई या की गई मानी जाएगी यदि ऐसा किया जाता है या उसके बाद अगले दिन लिया जाता है जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू नहीं होगी जिस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 लागू होता है।

(2) यह धारा जनवरी 1887 के चौदहवें दिन या उसके बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों पर भी लागू होती है।

[13] 1957 एस.सी.आर. 208

[14] मनोहर जोशी बनाम नीतिः भाउराव पाटिल (1996) 1 एस.सी.सी. 169; मुहम्मद अयूब बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी, (2009) 17 एस.सी.सी. 70.

[15] (1988) 2 एस.सी.सी. 142

[16] (2013) 12 एस.सी.सी. 649

[17] स्टेट ऑफ़ नागालैंड बनाम लिपोक आओ (2005) 3 एस.सी.सी. 752; न्यू इंडिया इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा (1975) 2 एस.सी.सी, 840; एन. बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति (1998) 7 एस.सी.सी. 123; हरियाणा राज्य बनाम चन्द्र मणि (1996) 3 एस.सी.सी. 132; और तहसीलदार (एल.ए.) बनाम के.वी. अयिसुम्मा (1996) 10 एस.सी.सी. 634.

[18] (2010) 6 एस.सी.सी. 786

[19] (2012) 5 एस.सी.सी. 157.